रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 34/2020/1373 प्रो०/51-2020-14(06)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) दिनांक 22 अगस्त, 2020

विषयः राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 755/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 31 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 97,984=00 (रूपये सत्तानबे हजार नौ सौं चौरासी मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक**	**धनराशि**
1-	श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, मा० केन्द्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 02-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः पीआरजे-134, दिनांक 16-11-2019	रू० 6,817=00
2-	मा० न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, गुजरात। दिनांक 07-11-2019 से 10-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः पीआरजे-139, दिनांक 20-11-2019	रू० 45,150=00
3-	मा० न्यायमूर्ति श्री ए०पी० शाही जी, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, पटना । दिनांक 08-11-2019 से 09-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे-140, दिनांक 20-11-2019	रू० 9,030=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	श्री अश्वनी कुमार चौबे, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार । दिनांक 10-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, वाहन संख्याः यू०पी०-70 इ०टी०- 7599, देयक संख्याः पीआरजे-141, दिनांक 20-11-2019	रू० 9,582=00
5-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 11-11-2019 से 12-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः पीआरजे-142, दिनांक 20-11-2019	रू० 9,030=00
6-	श्री रवि कपूर, आई०ए०एस०, सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार । दिनांक 15-11-2019 से 17-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4505, देयक संख्याः पीआरजे-143, दिनांक 13-09-2019	रू० 18,375=00
	(रूपये सत्तानबे हजार नौ सौं चौरासी मात्र) कुल योग	रू० 97,984=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

३- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 06 देयक मूलरूप में

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 34/2020/1373 (1) प्रो०/51-2020-14(06)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in